मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः16.10.2025

थाना पड़री, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय सातिर वांछित चोर व असलहा तश्कर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार कब्जे से एक अदद पिस्टल, एक अदद जिंदा व एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर एक अदद तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, घटना मे प्रयुक्त बुलेट मोरटसाइकिल व 700 नगद बरामद —

'सोमेन बर्मा' वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा चोरी, लूट-छिनैती जैसी संगीन अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना पड़री, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः16.10.2025 को थाना पड़री क्षेत्रान्तर्गत उमरिया अयोध्या प्रसाद मोड़ थाना पड़री जनपद मीरजापुर पर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों कि चेकिंग की जा रही थी कि उसी समय मुखबीर खास से सुचना मिली कि एक शातिर अपराधी तथा असलहा तश्कर जो थाना पड़री के मुकदमें में वांछित है झिंगुरा रोड के तरफ से अवैध असलहा के साथ आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा प्रभावी चेकिंग की जा रही थी कि थाना स्थानीय के मु0अ0सं0-213/2025 धारा-3/25 आयुध अधिनियम में वांछित अभियुक्त सुन्दरम् उपाध्याय पुत्र राजेश उपाध्याय निवासी तोषवा थाना पड़री जनपद मीरजापुर आया जिसे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया परन्तु पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी सीमित जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में समय 20.35 बजे घायल/गिरफ्तार अभियुक्त सुन्दरम् उपाध्याय को पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पड़री भिजवाया गया जहां से बेहतर इलाज हेतु चिकित्सक द्वारा सदर अस्पताल मीरजापुर के लिए भेजा गया है जहां उसकी स्थिति सामान्य है, गिरफ्तार अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त 01 बुलेट मोटरसाइकिल, 01 अदद अवैध तमंचा, 01 अदद जिन्दा 315 बोर, 01 अदद देशी पिस्टल, 01 अदद जिंदा तथा एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर तथा ₹700/- रूपया नगद बरामद किया गया है। उक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पड़री पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त —

सुन्दरम् उपाध्याय पुत्र राजेश उपाध्याय निवासी तोषवा थाना पड़री जनपद मीरजापुर उम्र करीब-28 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

□घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध देशी पिस्टल, एक अदद खोखा, एक अदद जिंदा कारतूस 32 बोर, एक अदद अवैध तमंचा, तथा एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 बुलेट मोटरसाइकिल तथा ₹ 700/- नगद।

□***आपराधिक इतिहास—***

1.मु0अ0सं0-213/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना पड़री जनपद मीरजापुर।
2.मु0अ0सं0-214/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/29 आयुध अधिनियम थाना पड़री जनपद मीरजापुर।
3.मु0अ0सं0-157/2015 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कछवां जनपद मीरजापुर।
4.मु0अ0सं0-125/2022 धारा 379, 411भादवि थाना जीआरपी जनपद मीरजापुर।
5.मु0अ0सं0-135/2022 धारा 379, 411 भादवि थाना जीआरपी जनपद मीरजापुर।
6.मु0अ0सं0-12/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना जीआरपी जनपद मीरजापुर।
7.मु0अ0सं0-37/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना जीआरपी जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

श्री आजीत कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक पड़री-जनपद मीरजापुर।
श्री राजीव सिंह प्रभारी निरीक्षक एसओजी मय पुलिस टीम।
श्री मानवेन्द्र सिंह उप-निरीक्षक प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।
श्री राजनाथ यादव उप-निरीक्षक थाना पड़री।
राजेश सिंह मु0आ0 थाना पड़री।
रणविजय कुशवाहा मु0आ0 थाना पड़री।
शिव बदन विंद मु0आ0 थाना पड़री।
संजय यादल मु0आ0 थाना पड़री।

******